अर्धविधिक व्यवहार में डिप्लोमा
(डी.आई.पी.पी.)

अध्यापक जाँच सत्रीय कार्य
(जनवरी, 2025 और जुलाई 2025)

बी.एल.ई.–001 : भारतीय विधि व्यवस्था का परिचय
बी.एल.ई.–002 : कानून का परिचय
बी.एल.ई.–003 : विधि और संवेदनशील समूह
बी.एल.ई.–004 : ग्रामीण स्थानीय स्वशासन

इग्नू
जन-जन का विश्वविद्यालय

विधि विद्यापीठ

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदानगढ़ी, नई दिल्ली–110 068

अर्धविधिक व्यवहार में डिप्लोमा (डी.आई.पी.पी.)

प्रिय विद्यार्थी,

विश्वविद्यालय के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आपके द्वारा चुने गए प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए आपको एक सत्रीय कार्य पूरा करना है।

आप पाएंगे कि सत्रीय कार्यों में दिए गए प्रश्न विश्लेषणात्मक (analytical) और वर्णनात्मक (descriptive) हैं ताकि आप अवधारणाओं को बेहतर ढंग से जान और समझ सकें।

यह महत्त्वपूर्ण है कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निकटतम शब्द-सीमा में होना चाहिए। स्मरण रहे कि सत्रीय कार्य के प्रश्नों के उत्तर लिखने से आपके लेखन कौशल में सुधार होगा और आप सत्रांत परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे।

स्त्रीय कार्य जमा कराना

आपको अपने अध्ययन केंद्र के संचालक (Co-ordinator) के पास सत्रीय कार्य जमा कराने हैं। आपको जमा कराए गए सत्रीय कार्यों के लिए अध्ययन केंद्र से रसीद अवश्य लेनी चाहिए और इसे अपने पास रखना चाहिए। आप जो सत्रीय कार्य जमा कराएं, कृपया उसकी फोटोकॉपी अपने पास अवश्य रखें।
मूल्यांकन करने के बाद, अध्ययन केंद्र आपको सत्रीय कार्य लौटा देगा। कृपया जाँचे गए सत्रीय कार्यों के लिए आग्रह कीजिए। अध्ययन केंद्र इग्नू स्थित विद्यार्थी मूल्यांकन प्रभाग, नई दिल्ली को अंक भेजेगा।

आपको अपने अध्ययन केंद्र में नीचे लिखे अनुसार सत्रीय कार्य जमा कराने हैं :

जनवरी के लिए 30 सितम्बर,2025
जुलाई के लिए 30 मार्च,2026 तक

सत्रीय कार्य करने के लिए दिशा-निर्देश

हम आपसे आशा करते हैं कि आप सत्रीय कार्य में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दें। आपको इसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना उपयोगी होगा :

1) **योजना :** सत्रीय कार्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उन इकाइयों का अध्ययन कीजिए जिन पर वे आधारित हैं। प्रत्येक प्रश्न के संबंध में कुछ बिंदु तैयार कीजिए और फिर उन्हें तर्कसंगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए।

2) **आयोजन :** अपने उत्तर की कच्ची रूपरेखा तैयार करने से पहले थोड़ा चयन और विश्लेषण कीजिए। प्रश्न की प्रस्तावना (परिचय) और निष्कर्ष पर पर्याप्त ध्यान दीजिए।

यह सुनिश्चित कर लें कि :

क) उत्तर तर्कसंगत और उपयुक्त है।

ख) वाक्यों और पैराग्राफों का स्पष्ट मेल है।

ग) आपकी अभिव्यक्ति में प्रस्तुतिकरण सही है।

3) **प्रस्तुतिकरण :** एक बार अपने उत्तर से संतुष्ट होने पर आप सत्रीय कार्य जमा कराने के लिए अंतिम रूप (पाठ) लिख सकते हैं। **अपनी लिखाई में सभी सत्रीय कार्य स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य है।** यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप जिन बिन्दुओं पर जोर देना चाहते हैं, उनको रेखांकित कीजिए। यह सुनिश्चित कर लें कि आपका उत्तर निर्धारित शब्द सीमा में होना चाहिए।

शुभकामनाओं के साथ!

कार्यक्रम संचालक (डी.आई.पी.पी.)

बी.एल.ई.–001 : भारतीय विधि व्यवस्था का परिचय

पाठ्यक्रम कोड : बी.एल.ई.–001
सत्रीय कार्य कोड : बी.एल.ई.–001/टी.एम.ए./2025
अधिकतम अंक : 100

निम्नलिखित में से किन्हीं दस प्रश्नों के उत्तर लगभग 600 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक हैं।

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की मुख्य प्रावधान की चर्चा कीजिए।
2. भारत के संविधान में निर्धारित जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार (Right to Life and Personal Liberty) की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।
3. भारतीय संविधान में उल्लिखित संविधानिक मूल्यो की चर्चा कीजिए।
4. संविधान में उल्लिखित राज्य के निति निदेशक सिद्धान्तो का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। क्या इन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। चर्चा कीजिए।
5. लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। प्रतक्ष तथा अप्रतक्ष लोकतंत्र के बीच अन्तर स्पस्ट कीजिए।
6. उच्चतम न्यायालय के अपील संबंधी अधिकारो का वर्णन कीजिए।
7. धन विधेयक को परिभाषित कीजिए। संसद द्वारा इसे पारित करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
8. डाइसी के विधिशासन संबंधी विचार की चर्चा कीजिए। भारतीय संविधान में यह सिद्धांत कैसे समाविष्ट किया गया है।
9. मानव अधिकार को परिभाषित कीजिए। मानव अधिकारों को लागू करने के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत उपलब्ध तंत्र का वर्णन कीजिए।
10. भारत के संविधान मे उल्लिखित स्वतंत्रता के अधिकार कीजिए।
11. विधिक सहायता क्या हैं। भारत में प्रचलित लोक अदालत व्यवस्था का विश्लेषण कीजिए।
12. मंत्री परिसद के कार्यों तथा उत्तर दायित्वों पर एक नोट लिखिए।